भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्णित अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग नहीं है।इस संबंध में, रामजी भागला बनाम कृष्णराव करीराव बागरे और एक अन्य *(10)* के मामले का संदर्भ दिया जा सकता है।यह वर्तमान मामले में पक्षों के बीच मुख्य विवाद भी नहीं है।इस प्रकार, मुझे आगे किसी भी भ्रम में इस विवाद पर चर्चा करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

(23) कार्रवाई के कारण को सामने लाने के लिए, एक वादी को मुकदमे को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख करना चाहिए।ऐसे आवेदन पर विचार करने के लिए उन शर्तों और/या शर्तों की योग्यता इस स्तर पर महत्वहीन है।वादी अपने मामले को साबित करने के लिए क्या सबूत देगा या प्रतिवादी क्या संभावित बचाव करेगा, यह कार्यवाही के उस प्रारंभिक चरण में अदालत की चिंता नहीं है।कारण उचित सामान्य शब्द है।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण का निर्णय लिया जाना चाहिए।मुकदमों में उठाए गए कदम कानूनी रूप से उचित हैं और मामले के तथ्यों पर, वे विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को फिर से लेने की आवश्यकता नहीं मानते हैं।

(24) मैं इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हूं कि विद्वत विचारण न्यायालय इस स्तर पर आवेदन को खारिज करने में अधिकारिता की त्रुटि में पड़ गया है और यह मानता है कि ऐसे विचारण योग्य मुद्दे हैं जिन्हें सीमा पर खारिज नहीं किया जा सकता है और पक्षों को अपने साक्ष्य को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।4 मार्च, 1997 के विवादित आदेश में अधिकारिता या अन्यथा की कोई त्रुटि देखने में असमर्थ होना।मुझे इस संशोधन को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।हालांकि, लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

(25) चूंकि वर्तमान मुकदमा वर्ष 1996 में शुरू किया गया था और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध करता हूँ कि वह मुकदमे का जल्द से जल्द फैसला करे।किसी भी मामले में तारीख से एक साल के भीतर इस आदेश की एक प्रति निचली अदालत के रिकॉर्ड में रखी जाती है।

आरएनआर

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और वी. एम. जैन के समक्ष

डॉ. ए. के. बख्शी,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ व अन्य-प्रत्यर्थी

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18781 वर्ष 1999

22दिसंबर, 1999

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *14* & *16*—पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, अध्याय *VI*- विनियम *4*- अकार्बनिक रसायन विज्ञान और रासायनिक शिक्षा में प्रोफ़ेसरों के पदों पर चयन और नियुक्ति

(10) ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1223

अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को विज्ञापन के अनुसार अस्वीकार किया जा सकता है-ऐसे आवेदकों का चयन, विनियमों और अनुच्छेद *14* के उल्लंघन के कारण रद्द किए जाने योग्य हैं-उत्तराधिकारी कुलपति को विभाग के प्रमुख द्वारा गलत जानकारी दी गई जिसने दो उम्मीदवारों के आवेदन पत्र जमा करने में देरी की माफी की सिफारिश की थी-कुलपति को यह नहीं बताया गया था कि पूर्ववर्ती कुलपति ने आवेदनों को खारिज कर दिया था- विभाग के प्रमुख और दो विषय विशेषज्ञों के खिलाफ कथित पक्षपात और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए गए हैं- पक्षपात को रासायनिक प्रतिक्रिया की तरह साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले की परिस्थितियों से पूर्वाग्रह का अनुमान लगाया जा सकता है-रिकॉर्ड और तथ्यों के संचयी विचार पर, प्रतिवादीगण का चयन अवैध और इसलिए उत्तरदायी है। याचिकाकर्ता को नियुक्तियों के चयन को केवल इसलिए चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उसने चयन में भाग लिया था-जब यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता विभाग के प्रमुख, तथाकथित विषय विशेषज्ञों और चयनकर्ताओं के बीच के जटिल संबंध से अवगत है, तो चयन समिति के सभी सदस्यों को इम्प्लीड न करने के बारे में आपत्ति गलत है-सिंडिकेट के प्रस्ताव को लागू न करना और सीनेट द्वारा नियुक्ति को मंजूरी देना उस याचिका के लिए घातक नहीं है जहां पूरे चयन और नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी-नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया और कानून के अनुसार नए चयन का आदेश दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले पर विचार करने पर कुलपति ने प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 द्वारा आवेदनपत्र जमा करने में 5 महीने से अधिक की देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं पाया। इस प्रकार, 2 मई, 1997 के आदेश के पारित होने के साथ, सिंडिकेट के प्रस्ताव द्वारा प्रदान की गई देरी को माफ करने की शक्ति समाप्त हो गई।

(पैरा 36)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कुलपति, सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार केवल

"असाधारण मामलों" में और "कारण बताते हुए" देरी को माफ कर सकते थे।वर्तमान मामले में, सिंडिकेट के फैसले का कोई संदर्भ नहीं था।न प्रत्यर्थी संख्या 3 और न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पाया कि यह एक 'असाधारण' मामला था।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने देरी को माफ करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया था।इस प्रकार, कुलपति का आदेश सिंडिकेट के निर्णय की आवश्यकताओं के अनुरूप भी नहीं था।

(पैरा 41)

इसके अलावा, यह माना गया कि विज्ञापन की भाषा निषेधात्मक है।यह उन आवेदनों को अस्वीकार करने का सूचक था जो निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं हुए थे।यह शर्त प्राधिकरण की इच्छानुसार परिवर्तित नहीं की जा सकती थी। आमजन को सूचित किए बिना इसे बदला नहीं जा सकता था।

यदि विश्वविद्यालय नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार करने का इरादा रखता है, तो उसे जनता को एक नोटिस जारी करना था ताकि अन्य जो अच्छे कारण से आवेदन जमा करने में विफल रहे हों, उन्हें मौका मिल सके।समान रूप से, वे व्यक्ति भी जो 15 नवंबर के बाद पात्र हो गए थे, 1996 अपनी उम्मीदवारी की पेशकश कर सकते थे।वर्तमान मामले में विश्वविद्यालय ने कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया है।इसने दूसरों को कोई अवसर नहीं दिया।हमारे विचार में, विश्वविद्यालय ने गलती से विज्ञापन की कठोरता में ढील दी। उक्त ने अंतिम तिथि के बाद प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के आवेदनों को मंज़ूर करने में गलती की।

(पैरा 43)

इसके अतितिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि कुलपति ने दूसरे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के आवेदनों पर विचार विनियमन 4 के लिए संदर्भित था।अभिलेख इस सुझाव को झुठलाता है।

(पैरा 47)

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया गया है।प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके आवेदन 15 नवंबर, 1996 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(पैरा 49)

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि तीसरा प्रत्यर्थी बार-बार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने कोई भूमिका नहीं निभाई थी।आवेदनों को विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसाधित किया गया था।प्रतिवादीगण संख्या 1 और 2 को तथ्य देने होंगे।वह इस तथ्य को छिपाता है कि उसने 14 अक्टूबर, 1997 को पत्र लिखा था।इस प्रकार, केवल उन्होंने ही आवेदनों पर कार्रवाई की थी।इस पत्र की सामग्री पर ध्यान दिया गया है।इस पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने कुलपति को स्पष्ट रूप से सुझाव दिया था कि आवेदन जमा करने में देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा था कि दोनों उम्मीदवार "उत्कृष्ट शिक्षक/शोध कार्यकर्ता हैं"।उन्होंने "दृढ़ता से सिफारिश की थी कि उन्हें चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है/(अनुपस्थिति में)।" ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. चड्ढा अदालत को पूरे तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे हैं।यहाँ तक कि उनका अपना पत्र भी नहीं।

(पैरा 53)

इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने सिंडिकेट और सीनेट के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था।याचिकाकर्ताओं ने चयन और नियुक्ति को चुनौती दी है।इसमें अंतिम नियुक्ति की ओर ले जाने वाले सभी कार्यक्रम शामिल हैं।ऐसा नहीं हुआ है।

यह दर्शाता है कि सिंडिकेट के निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवारों को वितरित किए जाते हैं।अतः इस आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, चयन स्वयं अवैध होने के कारण, सिंडिकेट और सीनेट द्वारा इसका अनुसमर्थन बुनियादी अवैधता को ठीक नहीं करता है।,

(पैरा 65)

पी. एस. पटवालिया, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से।

पी. एस. गोराया, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से ।

एस. एस. शेरगिल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से।

एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक अधिवक्ता सुवीर सहगल, प्रतिवादीगण संख्या 5 और 6 की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता.

(1) रसायन विज्ञान विभाग की ओर से प्रोफेसर के दो पदों का विज्ञापन दिया गया।आवेदनों को निर्धारित प्रारूप पर 15 नवंबर, 1996 तक जमा किया जाना था।डॉ. सुनीति कुमार शर्मा और डॉ. के. के. भसीन अंतिम तिथि तक

आवेदन जमा करने में विफल रहे थे।अप्रैल, 1997 में उनके दावे पर विचार करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुरोध को तत्कालीन कुलपति डॉ. टी. एन. कपूर ने 2 मई, 1997 को खारिज कर दिया था।8/9 अक्टूबर, 1997 को डॉ. भसीन ने एक और अनुरोध किया।12 अक्टूबर, 1997 को डॉ. सुनीति कुमार शर्मा ने अमेरिका से फैक्स के माध्यम से अपना आवेदन भेजा।14 अक्टूबर, 1997 को प्रो.एस. एल. चड्ढा-सभापति ने डॉ. सुनीति कुमार शर्मा और डॉ. के. के. भसीन के मामलों को फिर से कुलपति के सामने रखा।अपने तिथि पत्र में, उन्होंने सुझाव दिया कि या तो "(i) उनके आवेदनों को देर से जमा करने में कुल देरी को कृपया माफ किया जा सकता है" या चयन समिति के समक्ष उपयुक्त व्यक्तियों के नाम रखने की कुलपति की शक्ति को देखते हुए "उनके आवेदनों पर विचार किया जा सकता है"।पहले प्रस्ताव को उसी दिन कुलपति ने मंजूरी दे दी थी।साक्षात्कार 21 अक्टूबर, 1997 को आयोजित किए गए थे।डॉ. सुनीति कुमार शर्मा को अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के पद के लिए चुना गया था।यह इस तथ्य के बावजूद था कि वह चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित भी नहीं हुए थे।डॉ. के. के. भसीन को रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के पद के लिए चुना गया था।चयन समिति की कार्यवाही को सिंडिकेट द्वारा 27 अक्टूबर, 1997 को और सीनेट द्वारा 21 दिसंबर, 1997 को मंजूरी दी गई थी।डॉ. सुनीति कुमार शर्मा, जो पहले से ही अमेरिका में थे, ने 13 फरवरी, 1998 को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की और वापस चले गए।उन्होंने वर्ष 1988 से विभाग में काम नहीं किया है।डॉ. भसीन 27 अक्टूबर 1997 को शामिल हुए थे और कुछ समय बाद छुट्टी पर चले गए थे।

(2) ये दोनों याचिकाएँ डॉ. सुनीति कुमार शर्मा और डॉ. के. के. भसीन के चयन और नियुक्ति को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं।आरोप है कि दोनों उम्मीदवारों ने अंतिम तिथि तक अपने आवेदन जमा नहीं किए थे।14 अप्रैल, 1997 को उनके आवेदन प्राप्त होने पर तत्कालीन कुलपति ने इस मामले पर विचार किया।देरी को माफ करने के अनुरोध को 2 मई, 1997 को खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, विभाग के अध्यक्ष ने अक्टूबर, 1997 में इस तथ्य का खुलासा किए बिना कि पहले के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, फिर से आवेदन जमा किए थे।वे पक्षपाती थे क्योंकि उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी और इन दोनों उम्मीदवारों के आतिथ्य का आनंद लिया था।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 का चयन और नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है, जो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और पूर्वाग्रह से दूषित है।वे प्रार्थना करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 का चयन और नियुक्ति रद्द कर दी जाए।

(3) अधिवक्ता पक्षकरण ने 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18782 में दिए गए तथ्यों का व्यापक रूप से उल्लेख किया है।इन पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(4) पंजाब विश्वविद्यालय ने विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन दिया जिनमें रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के दो पद भी थे।इनमें से एक रासायनिक शिक्षा के क्षेत्र में था, जबकि दूसरा अकार्बनिक रसायन विज्ञान के विशेषज्ञता में था।आवेदन पत्रों को 15 नवंबर, 1996 तक पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में पंजीकृत डाक द्वारा पहुंचना था।विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया था कि "प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन पत्र जमा करने की आवश्यकता है"।यह आगे निर्धारित किया गया था कि "निर्धारित प्रारूप में नहीं या अधूरे आवेदन या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।"मैट्रिक/स्कूल छोड़ने, स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षा के साथ-साथ एम. फिल/डॉक्टरेट डिग्री के लिए योग्यता के समर्थन में प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां भी आवेदन के साथ संलग्न की जानी आवश्यक थीं।विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को रुपये के शुल्क के साथ पूर्ण जैव-डेटा (आठ प्रतियां) के साथ सादे कागज पर आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। 75 एक क्रॉस खाता प्राप्तकर्ता बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय "इस विज्ञापन की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. एल. के रूप में प्रस्तुत की गई है।

(5) याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत किया।रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 2 के रूप में एक फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है।याचिकाकर्ता का आरोप है कि वह उस समय अकार्बनिक रसायन विज्ञान विभाग में सबसे वरिष्ठ पाठक थे।उनके पास 31 वर्षों का शोध का अनुभव है।वे पिछले 28 वर्षों से विश्वविद्यालय स्तर पर रसायन विज्ञान पढ़ा रहे थे।उन्होंने कई एम. एस. सी., एम. फिल और पी. एच. डी. छात्रों की देखरेख की है।उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।अन्य लोगों के सहयोग से उनके द्वारा प्रकाशित 25 शोध पत्रों के अलावा, उन्होंने स्वतंत्र रूप से 37 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।

उनका कहना है कि उनके काम को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उद्धृत किया गया है।उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था-दिनांक 6 अक्टूबर, 1997 के पत्र के माध्यम से।

(6) याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने अंतिम तिथि तक अपने आवेदन जमा नहीं किए थे।हालाँकि, उन्होंने अंतिम तिथि समाप्त होने के लगभग 5/6 महीने पहले आवेदन किया था।याचिकाकर्ता को पता चला है कि तत्कालीन कुलपति ने अंतिम तिथि के बाद उन्हें नियुक्ति के लिए विचार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उनके आवेदनों को खारिज कर दिया।अब वर्तमान अध्यक्ष ने फिर से उनके आवेदनों को प्रभावित किया है/प्राप्त किया है क्योंकि कुलपति में परिवर्तन हुआ था और उन्हें नियुक्ति के लिए विचार करने में सफल रहे हैं।याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के आवेदन जो अंतिम तिथि की समाप्ति के लंबे समय बाद प्राप्त हुए थे, उन्हें तत्कालीन कुलपति द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(7) याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि चयन समिति को विषय विशेषज्ञों को शामिल करना होगा।"विशेषज्ञों का चयन कुलपति द्वारा व्यक्तियों में से किया जाता है जो विभाग के संबंधित प्रमुख द्वारा उन्हें प्रस्तुत

किया जाता है।"वर्तमान मामले में, "अध्यक्ष-प्रतिवादी संख्या 3 ने जानबूझकर डॉ. बी. एस. मिन्हास श्री बी. डी. गुप्ता को कुलपतियों को भेजी गई विशेषज्ञों की सूची में शामिल किया" इससे पहले कि "साक्षात्कार पत्र भेजे जा सकें,•'अध्यक्ष ने महसूस किया कि दोनों श्री बी. डी. गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 4 और श्री बी. एस. मिन्हास, प्रतिवादी संख्या 7 को अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति में शामिल किया गया था।इसके अलावा, अध्यक्ष ने यह भी महसूस किया कि श्री बी. डी. गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 4 को रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के लिए चयन समिति में विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था।याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 (डॉ. एस. एल. चड्ढा, अध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग) और प्रतिवादी संख्या 4 (डॉ. बी. डी. गुप्ता, प्रोफेसर, आई. आई. टी., कानपुर) "प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के दायित्व के तहत थे।"वे यह आरोप इस आधार पर लगाते हैं कि "प्रतिवादी संख्या 5-श्री सुनीति शर्मा और श्री सुभाष नारंग अध्यक्ष-श्री एस. एल. चड्ढा के छात्र थे।उक्त श्री सुभाष नारंग लगभग 20 साल पहले अमेरिका चले गए थे।वह अमेरिका में बस गए और एस. आर. आई. इंटरनेशनल नामक एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया जो एक वाणिज्यिक उपक्रम है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अन्य कंपनियों के लिए अनुसंधान कार्य करता है। श्री सुभाष नारंग, जो विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्याप्त अनुदान प्राप्त कर रहे थे, ने अपने मित्र और वर्ग-साथी श्री सुनीति शर्मा, प्रत्यार्थी संख्या 5 को शोध कार्य में मदद करने के लिए आमंत्रित किया।प्रत्यार्थी संख्या 5, जो उस समय पंजाब विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में काम कर रहे थे, ने वर्ष 1988 में छुट्टी मांगी और

श्री सुभाष नारंग के निमंत्रण पर अमेरिका चले गये।प्रतिवादी संख्या 5 तब से श्री सुभाष नारंग के साथ विभिन्न शोध परियोजनाओं में काम कर रहा है और पर्याप्त धन कमा रहा है "याचिकाकर्ता आगे आरोप लगाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 को भी अनुसंधान के लिए पर्याप्त अनुदान मिल रहा है।वे श्री बी. डी. गुप्ता को कई मौकों पर शोध परियोजनाओं में मदद करने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं।श्री बी. डी. गुप्ता की यात्रा/ठहरने, रहने और रहने का पूरा खर्च शोध परियोजनाओं में से प्रतिवादी संख्या 5 (डॉ. सुनीति कुमार शर्मा) द्वारा वहन किया जाता है।याचिकाकर्ता के अनुसार "प्रतिवादी संख्या 4 कई मौकों पर अमेरिका जा रहा है" उन्होंने विशेष रूप से जनवरी, 1995 से अगस्त, 1995 की अवधि का उल्लेख किया है।इस अवधि के दौरान, श्री बी. डी. गुप्ता श्री के. के. भसीन के आवास पर रहे, जिन्हें रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के पद के लिए चुना गया है "याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि" विभाग के अध्यक्ष श्री एस. एल. चड्ढा ने भी जनवरी, 1997 में अमेरिका का दौरा किया और एक महीने की अवधि के लिए रुके।वे उस अवधि के दौरान श्री भसीन के आवास में भी रहे जब वे अमेरिका में थे उस समय, याचिकाकर्ता समझता है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 5 और 6 ने अध्यक्ष को अमेरिका बुलाया और उनकी देखभाल की क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी छुट्टी और विभाग में प्रोफेसर की नियुक्ति में विस्तार प्राप्त करना चाहते थे।याचिकाकर्ता के अनुसार, "जब प्रत्यर्थी संख्या 3 को एहसास हुआ कि चयन समिति में श्री बी. डी. गुप्ता को भी विशेषज्ञ के रूप में चुना गया था और वह खुद वहां थे और वे दोनों अंतिम अनुशंसा को प्रभावित करने की स्थिति में होंगे तो इन पदों के लिए प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की ओर से भी आवेदनपत्र भरवाने का निर्णय लिया गया।"याचिकाकर्ता का आरोप है कि "यह अध्यक्ष के पूछने पर हुआ होगा कि सुनीति शर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 5 ने विश्वविद्यालय के आवेदन को 12 अक्टूबर, 1997 को फैक्स किया गया है।आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं है।यह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद है यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है आवेदन में विवरण पूर्ण नहीं हैं।मैट्रिक स्तर से ही शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता थी।हालाँकि, वही नहीं दिए गए हैं।यही कारण है कि प्रतिवादी संख्या 5 का बी. एससी. में तीसरा विभाग है। (सम्मान) अर्थात 50 प्रतिशत से कम।याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 5 वास्तव में अगस्त/सितंबर, 1997 में भारत में था।इस तथ्य के बावजूद कि वह उस समय यहां थे, उन्होंने उक्त पद के लिए कोई आवेदन जमा नहीं किया।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा एक आवेदन देने के लिए कहा गया था जब उन्हें एहसास हुआ कि प्रतिवादी संख्या 4 भी चयन समिति में था और वे मिलकर प्रतिवादी संख्या 5 के चयन को सुविधाजनक बनाने की स्थिति में होंगे।इन परिसरों में, याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने 12 अक्टूबर, 1997 को अपना आवेदन भेजा था, अर्थात विभिन्न उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र भेजे जाने के बाद।

(8) याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उनकी आशंकाओं की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि विज्ञापित अन्य पद के लिए, प्रतिवादी संख्या 6 को भी अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने के लिए इसी तरह बनाया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 6 श्री के. के. भसीन वही व्यक्ति हैं जो अमेरिका में थे और जिनके साथ प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 रह रहे थे।उत्तरदाता संख्या 6 ने भी अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया था और इसके बजाय साक्षात्कार पत्र पहले ही वितरित किए जा चुके थे।उनका आवेदन भी निर्धारित प्रारूप में नहीं था और न ही इसके साथ आवश्यक शुल्क था।

(9) चयन समिति की बैठक 21 अक्टूबर, 1997 को हुई।इस बैठक में, "जैसा कि अपेक्षित था, उत्तरदाता नहीं। अजैविक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर और उत्तरदाता संख्या 6 की प्रतीक्षा सूची में रखा गया था।रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के दूसरे पद के लिए प्रतिवादी संख्या 6 का चयन किया गया है।याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि सदस्यों में से एक ने प्रतिवादी संख्या 5 के चयन में अपनी असहमति दर्ज की थी।

(10) याचिकाकर्ता का आरोप है कि डॉ. चड्ढा, जो अध्यक्ष थे, ने "रुपये के चेक को भुनाया था। 1600 और रु। 6, 714 सुनीता और रानू से संबंधित थे जो शोध विद्वान थे और उन्होंने अपने पास पैसा रखा और उसी का उपयोग किया।बाद में, "उसने माफी मांगी और लड़कियों को पैसे वापस कर दिए और आगे अनुरोध किया कि उसे भविष्य में कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।"बाद में, उन्होंने "हेरफेर किया और विभाग के अध्यक्ष बने" अब एक अध्यक्ष के रूप में, वे प्रतिवादी के निमंत्रण पर अमेरिका गए हैं।सं. 5 और 6 अनुसंधान कार्य करने के बहाने और प्रतिवादी सं. 5 और 6 के खर्च पर एक महीने की अवधि के लिए अमेरिका में रहे थे।अब वह प्रोफेसर के पद के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 5

और 6 का चयन करके ऋण चुका रहा है।

(11) याचिकाकर्ता यह भी बताता है कि "प्रतिवादी संख्या 5 अमेरिका में काम कर रहा है।वह अब तक अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के रूप में नहीं आए हैं और शामिल नहीं हुए हैं।दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 6 आवश्यकतानुसार सीनेट की मंजूरी के बिना रसायन विज्ञान विभाग में रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुआ है।याचिकाकर्ता विभिन्न आधारों पर प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के चयन और नियुक्ति को चुनौती देता है जिन पर ध्यान दिया जाएगा।वह प्रार्थना करते हैं कि अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के रूप में संवाददाता संख्या 5 का चयन और नियुक्ति रद्द कर दी जाए।

(12) प्रतिवादीगण द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं।विश्वविद्यालय और कुलपति की ओर से कुलसचिव द्वारा लिखित बयान दाखिल किया गया है।यह माना गया है कि तथ्यों पर विवाद को देखते हुए, रिट याचिका विचारणीय नहीं है।याचिकाकर्ता चयन समिति के समक्ष पेश होने के बाद, वह है

चयन को चुनौती देते हुए सामने की ओर झुक गए।उनके दावे पर विचार किए जाने के बाद, उन्हें चयन पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं है।गुण-दोष के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 का चयन वैध और वैध है।प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के आवेदनों को देर से जमा करने में देरी को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 14 अक्टूबर, 1997 को माफ कर दिया गया था।अनुरोध पर प्रतिवादी संख्या 5 की उम्मीदवारी पर अनुपस्थिति में विचार किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 5 का चयन वैध है।" यह भी कहा गया है कि "पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट ने प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के चयन को मंजूरी दी थी।उत्तरदाता संख्या 5 13 फरवरी, 1998 को अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।यह भी कहा गया है कि "विज्ञापन अनुलग्नक पी. 1 के साथ संलग्न खंड के संदर्भ में, कुलपति को चयन समिति के समक्ष प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के नाम रखने का अधिकार था।" इस संबंध में, सिंडिकेट के 16 दिसंबर, 1973 के निर्णय का संदर्भ दिया गया है।पैराग्राफ 54 (iii) इस प्रकार हैः—

> "कि केवल असाधारण मामलों में, कुलपति नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए कारण बताते हुए आदेश पारित कर सकते हैं।

(13) यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2,3 और 5 से संबंधित आरोपों को विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से समर्थन नहीं मिलता है।इन परिसरों में विश्वविद्यालय प्रार्थना करता है कि रिट याचिका खारिज की जाए।

(14) रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एस. एल. चड्ढा-प्रतिवादी संख्या 3 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया है।उन्होंने कहा कि "आरोपों को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप बिना किसी आधार के हैं और उनके गैर-चयन के कारण केवल एक विचार है।"इस प्रकार, याचिकाकर्ता को आरोप लगाने से रोक दिया जाता है।उनका कहना है कि "चयन समिति (याचिकाकर्ता) द्वारा उनके गैर-चयन के बाद रिट याचिका दायर करने के उद्देश्यों के लिए एक काल्पनिक वर्णन बनाया गया है" प्रतिवादी याचिकाकर्ता पर इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को छिपाने का आरोप लगाता है।

(15) योग्यता के आधार पर, प्रतिवादी का कहना है कि उन्हें "एस. आर. आई. इंटरनेशनल कैलिफोर्निया (यू. एस. ए.) द्वारा रसायन विज्ञान के प्रोफेसर और रसायन विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के अध्यक्ष के रूप में उनकी विशिष्ट शैक्षणिक स्थिति के आधार पर आमंत्रित किया गया था।कैलिफोर्निया, यू. एस. ए. में अवधि के दौरान उत्तरदाता प्रत्यर्थी की अवधि के दौरान वजीफा उपरोक्त संस्था द्वारा दिया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 ने स्वयं ही विचाराधीन पदों पर चयन के लिए आवेदन किया।उत्तरदाता संख्या 5 और 6 का चयन चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता के आधार पर किया गया है।द.

रिट याचिका के पैराग्राफ 3 में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और वरिष्ठता आदि के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे को "ज्ञान की कमी के कारण अस्वीकार" कर दिया गया है।उन्होंने आगे दावा किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 और 7 के नाम उनके द्वारा कुलपति को "केवल इस बात पर विचार करते हुए भेजे गए थे कि ये दोनों व्यक्ति रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात वैज्ञानिक थे।"इसी तरह, "श्री सुभाष नारंग के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवादी संख्या 5 (एस. आई. सी.) रोजगार के विवरण के बारे में बयानों को ज्ञान की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है।"हालाँकि, वह स्वीकार करते हैं कि "जब उन्हें एस. आर. आई. इंटरनेशनल कैलिफोर्निया द्वारा आमंत्रित किया गया था, तो उपरोक्त दो वैज्ञानिक वहाँ काम कर रहे थे।"वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी "प्रतिवादी संख्या 5 और 6 में प्रश्नगत पदों के लिए आवेदन करने में कोई भूमिका नहीं थी, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने आवेदन किए थे, जिन्हें विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसाधित किया गया था और यह प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (विवरण प्रस्तुत करने के लिए) के लिए है।उन्होंने आगे कहा कि "प्रतिवादी संख्या 5 पहले से ही अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के रूप में शामिल हो चुके हैं।उत्तरदाता संख्या 6 पहले से ही रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है "वह यह भी दावा करता है कि उत्तरदाता संख्या 7" रसायन विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय में एक व्याख्याता था, जिसका उत्तर देने वाला उत्तरदाता साठ के दशक के अंत में यानी लगभग 30 साल पहले था।इस प्रकार, यह अनुमान लगाना पूरी तरह से आधारहीन है कि प्रतिवादी संख्या 7 उत्तरदाता के प्रभाव में था।याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न आधारों का खंडन किया गया है।प्रत्यर्थी प्रार्थना करता है कि रिट याचिका को लागत के साथ खारिज कर दिया जाए।

(16) डॉ. बी. डी. गुप्ता-प्रतिवादी संख्या 4 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया है।प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उठाई गई आपत्तियों के समान प्रारंभिक आपत्तियां भी उनके द्वारा उठाई गई हैं।उनका कहना है कि उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर एस. आर. आई. इंटरनेशनल द्वारा आमंत्रित किया गया था।उन्होंने कभी भी "प्रतिवादी संख्या 5 या 6 के आवास/भोजन" का आनंद नहीं लिया।इन दोनों उम्मीदवारों का चयन "उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता के आधार पर" किया गया है।उनका कहना है कि कोई पूर्वाग्रह नहीं था और इस प्रकार, चयन दूषित नहीं है।

(17) डॉ. सुनीति कुमार शर्मा, प्रतिवादी संख्या 5 ने यू. एस. ए. से एक लिखित बयान भेजा है। इसकी सामग्री की पुष्टि भी नहीं की गई है।चाहे जो भी हो, दलीलों पर ध्यान दिया जा सकता है।उनका आरोप है कि याचिकाकर्ता ने आवश्यक पक्षों अर्थात चयन समिति के कुछ सदस्यों को शामिल नहीं किया है।दुर्भावनापूर्ण आरोप बहुत दूर की बात है।याचिकाकर्ता ने "जानबूझकर इस तथ्य का प्रमुखता से उल्लेख नहीं किया है कि विनियमन 4 के प्रावधान जो कुलपति को चयन समिति के समक्ष विज्ञापन अनुलग्नक पी. 2 में इसके विशिष्ट स्थान के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम रखने की शक्ति प्रदान करते हैं" याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इस तथ्य को दबा दिया है।

“यह संदेह उनके शोध कार्य पर वर्ष 1987 में एक रेफ़री द्वारा कनाडा के प्रोफेसर जैक मिलर द्वारा डाला गया था, जिनके साथ उन्होंने तीन साल तक पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में काम किया था।याचिकाकर्ता को फरवरी, 1998 में प्रोफेसर के पद के लिए नहीं चुना गया था।प्रतिवादी का कहना है कि वह "नियुक्ति के लिए एक उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त उम्मीदवार थे, उनके पास 14 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, चंडीगढ़ और एस. आर. आई. इंटरनेशनल, यू. एस. ए. में 27 वर्षों का शोध अनुभव है। वर्ष 1993 से, वे तीन प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए एस. आर. आई. इंटरनेशनल, यू. एस. ए. में परियोजना प्रमुख रहे हैं और उन्होंने चार विकास और अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लिया है।वे छह शोध परियोजनाओं में प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक रहे हैं और पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में रसायन विज्ञान में उन्नत अध्ययन केंद्र में चार पीएचडी शोध प्रबंधों की देखरेख की है।उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में तीन समीक्षाओं सहित 35 से अधिक प्रकाशनों का श्रेय जाता है।उन्होंने जर्मनी और अमेरिका में सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लिया है और भाग लिया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में दो अलग-अलग संगठनों में महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने अपने सिक्कों के आविष्कारकों के साथ पांच आविष्कारों के पेटेंट के लिए आवेदन किया है उनके शोध पत्रों को 1992 में प्रकाशित अकार्बनिक यौगिकों के शब्दकोश में उद्धृत किया गया है।

(18) याचिकाकर्ता के इस दावे के जवाब में कि वह अमेरिका में रहा है, प्रतिवादी दावा करता है कि उसने 13 फरवरी, 1998 को इस पद पर अपना कर्तव्य ग्रहण किया था।उनका आरोप है कि याचिकाकर्ता ने सीनेट के प्रस्ताव को चुनौती नहीं दी है, इसलिए रिट याचिका में कारण नहीं बचा है।उनका आरोप है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, उनके पास "खर्च करने के लिए कोई धन नहीं था, और न ही उनके पास कोई अन्य धन था जिसके द्वारा वे प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा का वित्तपोषण कर सकते थे।"उनका कहना है कि उन्होंने "अजैविक रसायन विज्ञान के पद पर नियुक्ति के लिए कुलपति द्वारा चयन समिति को नामित करने से 5-6 महीने पहले आवेदन किया था।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बावजूद, कुलपति को चयन समिति के समक्ष, विज्ञापन के महत्वपूर्ण नोट संख्या 2 और पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड 1 के विनियम 4 अध्याय 5-ए के विज्ञापन के अनुसार विचार के लिए उत्तर देने वाले प्रतिवादी का बायोडाटा रखने की शक्तियां निहित थीं। चयन समिति को उत्तर देने वाले प्रतिवादी की उम्मीदवारी पर विचार करने का विवेकाधिकार था और उसे उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ पाए जाने के बाद, उसे अनुपस्थिति में चुना गया था।पैरा 13 में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनका आवेदन "तत्कालीन कुलपति द्वारा खारिज कर दिया गया था।"उन्होंने आगे कहा कि "यह भी गलत है कि वर्तमान अध्यक्ष ने वर्तमान कुलपति को इस पद के चयन के लिए उत्तरदाता प्रत्यर्थी पर विचार करने के लिए प्रभावित किया।उत्तरदाता प्रत्यर्थी की एक ही उम्मीदवारी पर विचार किया गया, स्वीकार किया गया और चयन स्मिति के समक्ष रखा गया।” वह पैरा 16 (x) के जवाब में दोहराते हैं कि उनका आवेदन "कुलपति द्वारा कभी खारिज नहीं किया गया था।"इन परिसरों में, प्रतिवादी संख्या 5 प्रार्थना करता है कि रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

(19) प्रतिवादी संख्या 6 ने इस रिट याचिका में एक संक्षिप्त जवाबदावा दायर किया है।उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और 13 फरवरी, 1998 को अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के पद पर शामिल हो गए थे।उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी "प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आमंत्रित नहीं किया था और न ही उन्होंने उनकी यात्रा के लिए धन दिया था।"प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 पर उसका कोई ऋण या दायित्व नहीं था।

(20) प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा कोई जवाबदाका दायर नहीं किया गया है।

(21) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादीगण की ओर से दायर जवाबदवो की अलग-अलग प्रतिकृतियां दायर की हैं।उन्होंने रिट याचिका में किए गए कथनों को दोहराया है और प्रतिवादीगण की ओर से किए गए कथनों का खंडन किया है।प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा लगाया गया आरोप कि "प्रो. द्वारा एक रेफरी द्वारा शोध कार्य पर संदेह व्यक्त किया गया था।कनाडा के जैक मिलर को "झूठा और आधारहीन" बताया गया है।याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने "कनाडा में रहने के दौरान कनाडा के जैक मिलर के साथ 7 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।याचिकाकर्ता विजय शर्मा द्वारा निर्देशित पीएचडी छात्रों में से एक की थीसिस का मूल्यांकन जैक मिलर द्वारा 1983 में किया गया था और उन्होंने उत्कृष्ट रिपोर्ट

दी थी।वास्तव में, इस माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अभिकथन किए गए हैं "विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने बताया है कि" विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के प्रति पक्षपात दिखाया जा रहा है कि उनके चयन के बाद, प्रतिवादी संख्या 5 एक दिन के लिए भारत आया था।वह प्रोफेसर के पद के खिलाफ शामिल हो गए और अगले दिन वापस अमेरिका चले गए।याचिकाकर्ता का कहना है कि "प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में सभी मानदंडों और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।उनका आरोप है कि "पिछले 8 वर्षों से, प्रतिवादी संख्या 5 विश्वविद्यालय में शामिल नहीं हो रहा है और बिना किसी उचित अधिकार के अमेरिका में रसायनज्ञ के रूप में कार्यरत है।उनका यह भी कहना है कि चयन की पूरी प्रक्रिया गलत और अवैध होने के कारण, "सिंडिकेट और सीनेट की मंजूरी उक्त अवैधता को वैध नहीं बना सकती है।"प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिखित बयान की प्रतिकृति में, यह अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि उन्होंने "प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के मामलों को अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति को यह स्पष्ट किए बिना भेज दिया था कि इससे पहले प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 द्वारा दायर आवेदन पहले ही तत्कालीन कुलपति द्वारा उसी राहत के लिए खारिज कर दिए गए थे।"यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने बी. एससी. में तीसरा डिवीजन हासिल किया था। (सम्मान) परीक्षा।उन्होंने राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति अनुलग्नक पी. 7 के रूप में प्रस्तुत की है।अन्य कथनों पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

(22) ये मामले में दलीलें हैं।

(23) 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18781 में, याचिकाकर्ता पहले से ही दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है।उनका आरोप है कि रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के रूप में डॉ. के. के. भसीन का चयन और नियुक्ति पूरी तरह से अवैध और मनमाना है।दूसरे मामले में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अलावा, याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा है कि चयन समिति की बैठक 21 अक्टूबर, 1997 के लिए निर्धारित की गई थी।कुलपतियों के अलावा, विभाग के अध्यक्ष डॉ. बी. डी. गुप्ता-प्रतिवादी संख्या 4, चार अन्य सदस्य थे। प्रो.एच. बी. सिंह, प्रो.राम प्रकाश, प्रो.डी. वी. एस. जैन और प्रो.जे एस यादव।याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रो.एच. बी. सिंह चयन समिति के सदस्य नहीं थे।किसी अन्य विशेषज्ञ को बुलाया गया था।लेकिन बैठक के समय उक्त विशेषज्ञ नहीं आया था।प्रो.इस प्रकार एच. बी. सिंह को बुलाया गया।चयन समिति की बैठक शुरू होने के समय, आठ व्यक्ति उपस्थित थे, भले ही समिति में सात व्यक्ति होने चाहिए थे।प्रोफेसर रमेश कुमार कक्कड़ आठवें व्यक्ति थे।प्रोफेसर कक्कड़ को जाने के लिए कहा गया।प्रो.डी. वी. एस. जैन-विभाग के एक पूर्व अध्यक्ष ने दर्ज किया था कि वह डॉ. के. के. भसीन के संबंध में चयन समिति की सिफारिश से सहमत नहीं थे।अन्यथा, अभिवचन मोटे तौर पर उसी तर्ज पर होते हैं जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(24) पक्षों के वकील को सुना गया है।

(25) दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री पी. एस. पटवालिया ने तर्क दिया कि आवेदन दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डॉ. सुनीति कुमार शर्मा और डॉ. के. के. भसीन को 15 नवंबर, 1996 तक नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता था।दूसरा, वकील ने प्रस्तुत किया कि चयन प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के पूर्वाग्रह से दूषित है।

(26) याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे का प्रतिवादीगण के वकील ने किया।श्री एम. एल., सरीन, प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चयन में भाग लेने वाले याचिकाकर्ताओं को चयन समिति के गठन को चुनौती देने से हटा दिया गया था, विशेष रूप से जब चयन समिति के दो सदस्य अर्थात्। डॉ. राम प्रकाश और डॉ. जे. एस. यादव को पार्टियों में शामिल नहीं किया गया था।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि चयन को सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, चयन के लिए केवल चुनौती का कोई परिणाम नहीं है, खासकर जब सीनेट के प्रस्ताव को चुनौती नहीं दी गई है।उन्होंने यह भी कहा कि रिट अदालत को शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए।प्रतिवादियों को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के वकील द्वारा अपनाया गया था।

(27) विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः—

(i) क्या विश्वविद्यालय ने प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के आवेदनों पर विचार करने में गलती की?

(ii) क्या चयन पक्षपात से दूषित है?

(iii) क्या याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की चयन और परिणामी नियुक्ति को चुनौती देने से रोक दिया गया है?

रेगः(i) क्या विश्वविद्यालय ने प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के आवेदनों पर विचार करने में गलती की?

(28) स्वीकृत रूप से, पदों का विज्ञापन किया गया था-1996 के विज्ञापन संख्या 10 के माध्यम से।यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि आवेदन "15 नवंबर, 1996 तक उप-पंजीयक (प्रतिष्ठान), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ तक पंजीकृत डाक द्वारा पहुंचना चाहिए।"नोट संख्या 6 में यह भी प्रावधान किया गया था कि "प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक उसके द्वारा प्राप्त योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाएगी"।आवेदनों को "निर्धारित प्रारूप में" जमा करने की आवश्यकता थी।अन्यथा, इन्हें अस्वीकार किया

जा सकता था।उम्मीदवारों को अपनी योग्यता आदि के संबंध में प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी थीं। अपूर्ण आवेदन या "उपवास तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य थे"।इस आवश्यकता में छूट का कोई प्रावधान नहीं था।

(29) विज्ञापन के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अंतिम तिथि के बाद आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सका।केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जा सकता है जो 15 नवंबर, 1996 तक प्राप्त हुए थे।अंतिम तिथि के बाद जो प्राप्त हुए वे अस्वीकृत किए जाने योग्य थे।

(30) यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने 14 अप्रैल, 1997 को अपने आवेदन भेजे थे।ऐसा प्रतीत होता है कि ये 24 अप्रैल, 1997 को विश्वविद्यालय के कार्यालय में प्राप्त हुए थे।डॉ. शर्मा के आवेदन पर कार्रवाई की गई।29 अप्रैल, 1997 के नोट के माध्यम से (फाइल पर मार्क 'ए' पर फोटो की प्रति) कार्यालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की थीः—

> "रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ने डॉ. सुनीति कुमार शर्मा के जैव-डेटा की सिफारिश की है और इसे अग्रेषित किया है और यह भी कहा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विज्ञापन के बारे में जानकारी उम्मीदवार तक नहीं पहुंच सकी, आवेदन जमा करने में देरी को माफ किया जा सकता है।
>
> रसायन विज्ञान विभाग के लिए अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के पद का विज्ञापन इस कार्यालय द्वारा अधिवक्ता के तहत किया गया था।सं. 10/96 और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 1996 थी।डॉ. सुनीति कुमार शर्मा का बायो-डेटा बिना किसी शुल्क के सादे कागज पर, प्रमाण पत्रों की प्रतियां आदि इस विश्वविद्यालय को 24 अप्रैल, 1997 को प्राप्त हुई हैं।
>
> जाँच समिति ने उपरोक्त पद के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की जाँच की है और 5 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की सिफारिश की है।आर की सिफारिशें
>
> जांच समिति को कुलपति द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और सभी योग्य उम्मीदवारों का सारांश दिया गया है
>
> तैयार/बंधी हुई नज़र आती है।कार्यालय के लिए इस विलंबित चरण में इस आवेदन पर विचार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और इस तरह डॉ. सुनीति कुमार शर्मा के सादे कागज पर बायोडाटा, जो 5 महीने और 9 दिनों से विलंबित है, कृपया दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

(31) उपर्युक्त नोट को भिन्न अफ़सरों द्वारा समर्थन किया गया। दिनांक 2 मई 1997 को कुलपति ने आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया था।यह निम्नानुसार देखा गयाः—

> "फाइल. भविष्य में, केवल एक महीना या उसके भीतर देरी से प्राप्त होने वाले आवेदनों को ही देरी माफी पर विचार के लिए रखा जाए।
>
> (एसडी.)।..,(टी. एन. कपूर) 2 मई 1997

(32) इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया गया।इसके अलावा, हमें सूचित किया गया कि कार्यालय ने डॉ. के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की है। के. के. भसीन को भी कुलपति के उपर्युक्त आदेशों को देखते हुए डॉ. सुनीति कुमार शर्मा के साथ प्राप्त किया गया था।

(33) कुलपति डॉ. टी. एन. कपूर की कार्रवाई "महत्वपूर्ण टिप्पणी" संख्या 8 में निहित शर्त के सख्त अनुरूप थी जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि "अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं"।

(34) प्रतिवादीगण की ओर से यह बताया गया कि कुलपति के पास आवेदन जमा करने में देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र है।इस पक्ष में एक संदर्भ 16 दिसंबर, 1973 के सिंडिकेट द्वारा लिए गए निर्णय का दिया गया था।

विश्वविद्यालय।यह निर्णय इस प्रकार हैः—

> प्रा. 54 (iii) "केवल असाधारण मामलों में कुलपति नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए कारण बताते हुए आदेश पारित कर सकते हैं।"

(35) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि कुलपति केवल असाधारण मामलों में देरी को माफ कर सकते हैं।और भी आगे, उसे कारणों को दर्ज करना होगा।

(36) वर्तमान मामले में क्या स्थिति है?कुलपति ने मामले पर विचार करने पर प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा आवेदन जमा करने में 5 महीने से अधिक की देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं पाया था।इस प्रकार, 2 मई, 1997 के आदेश के पारित होने के साथ, सिंडिकेट के प्रस्ताव द्वारा प्रदान की गई देरी को माफ करने की शक्ति समाप्त

हो गई।

(37) प्रतिवादीगण के वकील ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 ने अक्टूबर, 1997 में अपने आवेदन जमा किए थे।कुलपति ने इन आवेदनों पर विचार करने का निर्णय लिया था।इस प्रकार, कोई अवैधता नहीं थी।क्या ऐसा ही है?सबसे पहले तथ्य।

(38) प्रत्यर्थी सं. 5 से प्राप्त आवेदन की एक प्रति 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 18782 के साथ अरिनेक्सर पी. 4 के रूप में प्रस्तुत की गई है।ऐसा प्रतीत होता है कि यह 12 अक्टूबर, 1997 को फैक्स द्वारा भेजा गया था।जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 6 का संबंध है, उन्होंने 8/9 अक्टूबर, 1997 के पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसे उन्होंने 199 * 7 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18781 के साथ अनुलग्नक आर6/4 के रूप में अध्यक्ष के माध्यम से कुलपति को प्रस्तुत किया है।मूल फाइल के अवलोकन पर, हमने पाया कि प्रतिवादी नंबर 3 प्रोफेसर एस. एल. चड्ढा-विभाग के अध्यक्ष ने 14 अक्टूबर, 1997 को कुलपति को एक पत्र भेजा था।पत्र की एक फोटो प्रति मार्क 'बी' पर है।इसे विस्तार से देखना उपयोगी होगा।यह नीचे लिखा हैः—

"पंजाब विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग और उन्नत अध्ययन केंद्र।चंडीगढ़-160014 (भारत)

प्रो.एस. एल. चड्ढा, अध्यक्ष

कुलपति, दिनांक 14-10-1997
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

उपःडॉ. सुनीति कुमार शर्मा और डॉ. के. के. भसीन (पाठक), रसायन विज्ञान विभाग द्वारा देर से * आवेदन जमा करने के लिए

अकार्बनिक रसायन विज्ञान/रासायनिक शिक्षा के प्रोफेसर का पद।

प्रिय महोदय,

यह उपरोक्त उम्मीदवारों द्वारा अकार्बनिक/रासायनिक शिक्षा के प्रोफेसर के पद के लिए आवेदनों पर कार्रवाई के लिए आपके साथ मेरी बातचीत के संदर्भ में है।

यह अनुरोध किया जाता है किः—

(i) उनके आवेदनों को दायर करने में हुई देरी को कृपया आपके द्वारा माफ़ किया जाये।।

या

(ii) उनके आवेदनों पर विज्ञापन मसौदे के निम्नलिखित खंड के तहत विचार किया जाए:

कुलपति विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ विचार के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नाम चयन समिति के समक्ष रख सकते हैं।

चूँकि ये दोनों व्यक्ति उत्कृष्ट शिक्षक/शोध कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि उन्हें उपरोक्त खंड (i) या (ii) के तहत चयन समिति के समक्ष (अनुपस्थिति में) साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि आप स्वयं उचित समझते हैं।उनके बायोडाटा का विवरण पहले ही आपके कार्यालय में जमा कर दिया गया है, आपकी जानकारी के लिए यह उल्लेख किया जा सकता है कि डॉ. के. के. भसीन यूएसए से वापस आ गए हैं जबकि डॉ. सुनीति कुमार शर्मा अभी भी विदेश में हैं।

आपका विश्वासी,

(एसडी...),

"(एस. एल., चड्ढा)"

(39) ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दिन कुलपति ने क्रम संख्या (i) में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

(40) श्री पटवालिया ने तर्क दिया कि आदेश पूर्ण तथ्यों का खुलासा किए बिना प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त किया गया था।

(41) यह स्पष्ट है कि पत्र विभाग के प्रमुख द्वारा कार्यालय के माध्यम से नहीं भेजा गया था।इसे संसाधित नहीं किया गया था। यह तथ्य कि देरी को माफ करने के अनुरोध को पहले ही पूर्व कुलपति द्वारा दिनांक 2 मई, 1997 को खारिज कर दिया गया था

का खुलासा नहीं किया गया।तीसरे प्रत्यार्थु ने इसे क्यों छिपा कर रखा? अधिवक्ता कुछ नहीं बोल सके। इसके अतिरिक्त,

कुलपति, सिंडिकेट के निर्णय के अनुसार केवल "असाधारण मामलों" में और "कारण बताकर" देरी को माफ कर सकते थे।वर्तमान मामले में, सिंडिकेट के फैसले का कोई संदर्भ नहीं था।न तो प्रत्यर्थी संख्या 3 और न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कहा था कि यह एक 'असाधारण' मामला था।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने देरी को माफ करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया था।इस प्रकार, कुलपति का आदेश सिंडिकेट के निर्णय की आवश्यकताओं के अनुरूप भी नहीं था।

(42) प्रत्येक विज्ञापन में संबंधित प्राधिकारी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित करता है।यह सेवा करने के लिए एक उद्देश्य है।सबसे पहले, यह एक कट ऑफ पॉइंट प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है।दूसरा, यह सभी उम्मीदवारों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है।इसके अलावा, यह अज्ञात नहीं है कि जब भी कोई प्राधिकरण अंतिम तिथि आदि तक आवेदन जमा करने के संबंध में योग्यता या आवश्यकता में ढील देना उचित समझता है, तो वह विज्ञापन में उस संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान करता है।वर्तमान मामले में विज्ञापन में यह प्रावधान किया गया था कि पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।हालाँकि, जहाँ तक अंतिम तिथि का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया था कि 15 नवंबर, 1996 के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य थे।हमें विज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन नहीं करने और निर्धारित मानदंडों का पालन करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं मिला है।

(43) विज्ञापन की भाषा निषेधात्मक है।यह उन आवेदनों को अस्वीकार करने के इरादे का संकेत था जो निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं हुए थे।यह शर्त प्राधिकरण की इच्छा पर परिवर्तन के लिए खुली नहीं थी।इसे बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किए बिना बदला नहीं जा सकता था।यदि विश्वविद्यालय नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार करने का इरादा रखता है, तो उसे जनता को एक नोटिस जारी करना था ताकि अन्य जो अच्छे कारण से आवेदन जमा करने में विफल रहे हों, उन्हें मौका मिल सके।समान रूप से, वे व्यक्ति भी जो 15 नवंबर, 1996 के बाद पात्र हो गए थे, वे भी अपनी उम्मीदवारी की पेशकश कर सकते थे।वर्तमान मामले में विश्वविद्यालय ने कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया है।इसने दूसरों को कोई अवसर नहीं दिया।हमारे विचार में, विश्वविद्यालय ने गलती से विज्ञापन की कठोरता में ढील दी।इसने अंतिम तिथि के बाद प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के आवेदनों पर विचार करने में गलती की।

(44) उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे विदेश में रह रहे थे।उन्हें विज्ञापन के बारे में पता नहीं चला था।प्रतिवादीगण की ओर से किए गए दावे का याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा विरोध किया गया था।

(45) तथ्यात्मक स्थिति जो भी हो, विज्ञापन में विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को केवल एक रियायत दी गई थी।इसने उन्हें निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने से छूट दी।विज्ञापन के अंत में, यह प्रावधान किया गया था कि 'विदेश में उम्मीदवार' सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं।बायो-डेटा की 8 प्रतियां जमा करना अभी भी उनके लिए अनिवार्य था।उन्हें रुपये का शुल्क जमा करना था। 75.याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने इन शर्तों का पालन नहीं किया है।प्रतिवादीगण की ओर से इस पर कोई विवाद नहीं था।इस प्रकार, केवल इस तथ्य का कि वे प्रासंगिक समय पर विदेश में रह रहे थे, कोई परिणाम नहीं था।इसके अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ताओं को अप्रैल, 1997 में अचानक विज्ञापन के बारे में कैसे पता चला था।आँखों से मिलने वाली चीज़ों से कहीं अधिक है।

(46) उपरोक्त का सामना करते हुए, प्रतिवादीगण ने सुझाव दिया था कि कुलपति के पास समिति के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति का मामला रखने की शक्ति है जो आवेदक नहीं था।इस प्रकार, वर्तमान मामले में, यह माना जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के मामलों को चयन समिति के समक्ष उचित रूप से रखा गया था।कुलपति।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के अध्याय VI में विनियमन 4 के प्रावधानों पर वकील द्वारा रिलायंस को रखा गया था।यह नीचे लिखा हैः—

> "जब भी शिक्षक के पद में कोई रिक्ति होगी, पद का विज्ञापन किया जाएगा और रिक्ति भरने से पहले आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, बशर्ते कि कुलपति को विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों के साथ उपयुक्त व्यक्तियों के नाम पर चयन समिति के समक्ष विचार करने की शक्ति होगी।

(47) यह स्पष्ट रूप से सही है कि यह प्रावधान कुलपति को चयन समिति के समक्ष एक उपयुक्त व्यक्ति का नाम रखने के लिए अधिकृत करता है।वास्तव में, इस तरह की शक्ति विज्ञापन में भी सुरक्षित रखी गई थी।वर्तमान मामले में, प्रतिवादीगण की ओर से उठाई गई याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता है।14 अक्टूबर, 1997 के पत्र में, जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने स्पष्ट रूप से दो सुझाव दिए थे।उन्होंने सुझाव दिया था कि या तो आवेदनों को देर से जमा करने में देरी को माफ कर दिया जाए या आवेदनों पर विज्ञापन में निहित प्रावधान के तहत विचार किया जाए, जिसमें कहा गया था कि "कुलपति उपयुक्त व्यक्तियों के नाम चयन समिति के सामने रख सकते हैं" कुलपति ने पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी न कि दूसरे को।कुलपति ने दूसरे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के आवेदनों पर विचार विनियमन 4 के लिए संदर्भित था जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।अभिलेख इस सुझाव को झुठलाता है।

(48) इससे भी अधिक, यह ध्यान देने योग्य है कि विनियमन 4 के प्रावधान का उद्देश्य उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मामले में लागू किया जाना है जो आम तौर पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते हैं।वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की थी।देरी को माफ करने के उनके अनुरोध को 2 मई, 1997 को खारिज कर दिया गया था।कुलपति ने कभी भी अपने मामले चयन समिति के समक्ष नहीं रखे थे।इस प्रकार,

प्रतिवादीगण की ओर से उठाई गई याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(49) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके आवेदन 15 नवंबर, 1996 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

रेगः((ख):क्या चयन पक्षपात से दूषित है?

(50) रिट याचिका में किए गए विस्तृत कथनों के साथ-साथ लिखित बयानों पर भी ध्यान दिया गया है।याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 वर्ग-साथी हैं।यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 ने एस. आर. आई. इंटरनेशनल के साथ प्रत्यर्थी संख्या 6 के रोजगार की व्यवस्था की थी।इसके अलावा, प्रतिवादी सं. 3 प्रो.एस. एल. चड्ढा और प्रतिवादी नं. 4 प्रो.बी. डी. गुप्ता को अमेरिका आमंत्रित किया गया था।दोनों उत्तरदाताओं ने प्रतिवादीगण संख्या 5 और 6 के आतिथ्य का आनंद लिया था।प्रतिवादीगण ने इन आरोपों का खंडन किया है।फिर भी, कुछ तथ्य हमें घूरते रहते हैं।

(51) प्रत्यर्थी संख्या 3 के वकील श्री एस. एस. शेरगिल ने हमारे सामने 19 नवंबर, 1996 के पत्र की एक फोटो प्रति पेश की, जिसके द्वारा प्रो.विभाग के अध्यक्ष चड्ढा को एस. आर. आई. इंटरनेशनल में आमंत्रित किया गया था।इस पत्र को मार्क 'सी' के रूप में दर्ज किया गया था।इस पत्र का प्रारंभिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः—

> "एस. आर. आई. इंटरनेशनल की ओर से, मुझे आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूह के पॉलिमर रसायन विज्ञान विभाग में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्येता के रूप में नियुक्ति की पेशकश करते हुए खुशी हो रही है।यह कार्य 7 जनवरी, 1997 से शुरू होने वाले 1 महीने के लिए है और 31 जनवरी, 1997 को या उसके आसपास समाप्त होने पर एस. आर. आई. आपको प्रति माह 2250 डॉलर का वजीफा देगा।आप निदेशक डॉ. सुभाष नारंग के निर्देशन में काम करेंगे।आपकी तत्काल पर्यवेक्षक सुनीति के. शर्मा होंगी। "

(52) यह विवादित नहीं था कि डॉ. सुभाष नारंग और डॉ. सुनीति कुमार शर्मा वर्ग-साथी हैं।बी. एससी. का परिणाम देने वाली राजपत्र अधिसूचना से भी इस तथ्य का पता चलता है। ऑनर्स स्कूल।इस अधिसूचना की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 7 में है।यह और स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 को डॉ. शर्मा की देखरेख में काम करना था।सबसे कम, यह पत्र यह स्थापित करता है कि प्रतिवादी संख्या 3 और 5 एक-दूसरे को जानते थे।इसके बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 3 पैरा में कहता है

11 उनके लिखित बयान में कहा गया है कि "प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा विचाराधीन पदों के लिए आवेदन करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।"पैरा 12 में, वे कहते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 ने ऐसे आवेदन किए जिन्हें विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसाधित किया गया था और यह प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 (विवरण प्रस्तुत करने के लिए) के लिए है।इसके अलावा, लिखित कथन के पैरा 13 में, वह इस प्रकार कहता हैः—

> "यह आरोप कि उत्तरदाता ने प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 द्वारा आवेदन करने में कोई भूमिका निभाई, गलत है और अस्वीकार किया गया है।जवाब देने वाला प्रतिवादी विभाग के अध्यक्ष के रूप में केवल नियमों और विनियमों के अनुसार काम करता था।आवेदन की स्वीकृति के बारे में, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को जवाब देना है।

(53) इस प्रकार, तीसरा प्रतिवादी बार-बार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने कोई भूमिका नहीं निभाई थी।आवेदनों को विश्वविद्यालय विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसाधित किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को तथ्य देने होंगे।वह इस तथ्य को छिपाता है कि उसने 14 अक्टूबर, 1997 को पत्र लिखा था।इस प्रकार, केवल उन्होंने ही आवेदनों पर कार्रवाई की थी।इस पत्र की सामग्री पर ऊपर ध्यान दिया गया है।इस पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने कुलपति को स्पष्ट रूप से सुझाव दिया था कि आवेदनों को देर से जमा करने में देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा था कि दोनों उम्मीदवार "उत्कृष्ट शिक्षक/शोध कार्यकर्ता हैं"।उन्होंने "दृढ़ता से सिफारिश की थी कि उन्हें चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है/(अनुपस्थिति में)" ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. चड्ढा अदालत को पूरे तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे हैं।यहाँ तक कि उनका अपना पत्र भी नहीं।

(54) इतना ही नहीं।याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि प्रतिवादी संख्या 5 वर्ष 1988 में अमेरिका गया था।पैराग्राफ 15 में, याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि "प्रतिवादी नंबर 5 अमेरिका में काम कर रहा है।वह अब तक अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के रूप में नहीं आए हैं।पैरा 15 के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 3 में कहा गया है कि "इस पैरा की सामग्री इस हद तक गलत है कि प्रत्यर्थी संख्या 5 इसमें शामिल नहीं हुआ है।वास्तव में, उत्तरदाता संख्या 5 "पहले से ही अकार्बनिक रसायन विज्ञान में प्रोफेसर के रूप में शामिल हो चुके हैं।"प्रत्यर्थी संख्या 5 ने अपने लिखित बयान के पैरा 7 में दावा किया है कि उन्होंने "13 फरवरी, 1998 को इस पद के अपने कर्तव्यों को ग्रहण किया।"इसके अलावा, पैरा 15 के जवाब में, उन्होंने कहा है कि "सिंडीकेट और सीनेट द्वारा उत्तरदाता प्रत्यर्थी के चयन को मंजूरी दिए जाने और उनकी नियुक्ति का पत्र जारी किए जाने के बाद, वह 13 फरवरी, 1998 को इस पद पर नियुक्त हुए।"क्या यह पूरा सच है?याचिकाकर्ता ने प्रतिकृतियां दायर की हैं।प्रतिकृति में, उन्होंने कहा है कि "विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के प्रति पक्षपात दिखाया जा रहा है कि उनके चयन के बाद, प्रतिवादी संख्या 5 एक दिन के लिए भारत आया था।वह.

प्रोफेसर के पद के खिलाफ शामिल हो गए और अगले दिन वापस अमेरिका चले गए।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 1999 का

सीएम नंबर 26345 दायर किया।इस आवेदन में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया कि डॉ. एस. के. शर्मा ड्यूटी से अनुपस्थित थे।इस मामले पर सिंडिकेट द्वारा 24 अगस्त, 1999 की अपनी बैठक में विचार किया गया था।इसने निर्णय लिया था और सिफारिश की थी कि इस पद को खाली घोषित किया जाए।इस आधार पर यह प्रार्थना की गई कि इस पद को खाली घोषित किया जाए।प्रतिवादीगण की ओर से, यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 5 वास्तव में शामिल हुआ था।जब दबाव डाला गया, तो यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 भारत आया था और 15 नवंबर, 1999 को एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।उन्होंने फिर से छुट्टी मांगी और अमेरिका के लिए रवाना हो गए।

(55) प्रतिवादी संख्या 3 ने मई 1998 में लिखित बयान दायर किया था।उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि प्रतिवादी संख्या 5 ने केवल 13 फरवरी, 1998 को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसके बाद काम नहीं किया था।उन्होंने अदालत से इस जानकारी को क्यों छिपा रखा है?

(56) इसके विपरीत, रिट याचिका के पैरा 3 का उत्तर देते हुए जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी योग्यता और अनुभव आदि का उल्लेख किया है, प्रत्यर्थी संख्या 3 "ज्ञान की कमी" के आरोपों से इनकार करता है।

(57) अभिलेख पर सामग्री के संचयी विचार पर, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 अमेरिका गया था।उन्होंने प्रतिवादी संख्या 5 की देखरेख में काम किया था।उन्होंने न केवल प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के आवेदनों को अग्रेषित किया था, बल्कि मजबूत सिफारिशें भी की थीं।उन्होंने कहा था कि वे "उत्कृष्ट शिक्षक/शोध कार्यकर्ता" थे।इतना ही नहीं।उन्होंने उनके आवेदनों के बारे में कुलपति से भी बात की थी।लिखित बयान दाखिल करते समय, प्रत्यर्थी ने प्रासंगिक जानकारी को वापस रखने की कोशिश की है जो उसकी जानकारी में थी।क्या हमें अभी भी उस पर विश्वास करना चाहिए?क्या हमें अभी भी यह मानना चाहिए कि वह निष्पक्ष रूप से काम कर रहे थे और पक्षपाती नहीं थे?हमें उनकी याचिका को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।

(58) यह भी उल्लेख करने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने भी एस. आर. आई. इंटरनेशनल का दौरा किया था।वह यह दावा नहीं करता है कि वह प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को नहीं जानता था।वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा बार-बार कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 पुराने सहपाठी हैं।श्री शेरगिल ने इस तथ्यात्मक स्थिति का विरोध नहीं किया था।इस स्थिति के बावजूद, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने चयन समिति में शामिल करने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम की सिफारिश करना उचित समझा।क्यों?कारण की कल्पना करना मुश्किल नहीं है।हमें आश्चर्य नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 के दावे पर विचार करते हुए, प्रो.डी. वी. एस. जैन ने अपनी असहमति दर्ज करना उचित समझा था।वास्तव में, उन्होंने एक संक्षिप्त जवाब दाखिल किया है।उन्होंने बताया कि वे 1976 से रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं।वे विज्ञान संकाय के डीन, क्षेत्रीय परिष्कृत उपकरण केंद्र के निदेशक और रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे हैं।वे इसके संपादक भी रहे हैं।

प्रकाशन और सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली।उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार और अकादमिक सम्मान मिल चुके हैं।वह विभिन्न शरीरों पर है।उन्होंने कहा है कि रासायनिक शिक्षा में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को रासायनिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहिए था।प्रत्येक रसायन विज्ञान प्रोफेसर रासायनिक शिक्षा विशेषज्ञ नहीं होता है।उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।उन्होंने अफसोस जताया कि दुर्भाग्य से चयन समिति की बैठक में कोई भी बाहरी विशेषज्ञ रासायनिक शिक्षा विशेषज्ञ नहीं था।उन्होंने आगे कहा है:—

> "कि चयन समिति की बैठक में, जवाब देने वाले प्रतिवादी ने महसूस किया कि याचिकाकर्ता के साथ अन्याय किया जा रहा है।अपने विशाल अनुभव के साथ उत्तरदाता उम्मीदवारों के जैव-डेटा से देख सकता था कि हालांकि डॉ. के. के. भसीन का करियर अच्छा था, लेकिन रासायनिक शिक्षा के क्षेत्र में उनका कोई अनुसंधान प्रकाशन नहीं था।याचिकाकर्ता डॉ. ए. के. बख्शी, जो पहले से ही दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में प्रतिष्ठित सर शंकर लाई पीठ पर आसीन थे, का अन्य शोध योगदानों के अलावा रासायनिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड और उत्कृष्ट योगदान था।डॉ. बख्शी को यू. जी. सी. द्वारा प्रायोजित पत्रिका 'केमिस्ट्री एजुकेशन रिव्यू' के संयुक्त मुख्य संपादक के रूप में भी नियुक्त किया गया था।वे रसायन विज्ञान की अवधारणाओं पर वीडियो फिल्म बनाने सहित यू. जी. सी., एन. सी. ई. आर. टी., आकाशवाणी और दूरदर्शन की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए थे।इतना ही नहीं, डॉ. बख्शी को उनके उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए 1997 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (एफ. एन. ए. एस. सी.), इलाहाबाद के अध्येता के रूप में भी चुना गया था।
>
> इसे देखते हुए, जवाब देने वाला प्रतिवादी; जब डॉ. की उम्मीदवारी पर सहमत नहीं हो सका। भसीन को रासायनिक शिक्षा के प्रोफेसर के रूप में चयन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा था और इसलिए उन्होंने असहमति जताई।" (जोर दिया गया)।

(59) उपरोक्त अवलोकन एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विचार के सुझाव को नकारते हैं।

(60) यह निस्संदेह सही है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने पक्षपात के आरोपों से इनकार किया है।फिर भी, हमें यह याद रखना होगा कि पूर्वाग्रह को रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में साबित नहीं किया जा सकता है।यह मन की एक स्थिति है और इसका अनुमान किसी मामले की परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, अभिलेख पर स्पष्ट तथ्य इच्छा पर बहुत कुछ छोड़ देते हैं।हम विशेष रूप से उत्तरदाता संख्या 3 की प्रशंसा नहीं कर सकते।हमारे विचार में, चयन में निष्पक्षता की कमी थी।

रेगः*(iii)*:क्या याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के चयन को चुनौती देने से रोक दिया गया है?

/

(61) श्री सरीन ने दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में भाग लेने के बाद, उन्हें चयन को चुनौती देने से रोक दिया गया था। अधिवक्ता ने मैसर्स पन्ना लाए बिंजराज बनाम भारत संघ *(1),* मानक लाए, अधिवक्ता बनाम डॉ. प्रेम चंद सिंघवी व अन्य *(2),* डॉ. ओ. सराना बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय वि अन्य *(3)* और स्वर्ण लता बनाम भारत संघ व अन्य *(4)* में निर्णयों का उल्लेख किया।

(62) यह निस्संदेह सही है कि किसी को भी बाड़ पर बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।यदि कोई व्यक्ति तथ्यात्मक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और फिर भी चयन समिति के समक्ष पेश होता है, तो जब वह समिति के गठन का विरोध करने का विकल्प चुनता है, तो उसे बहिष्कार की आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है।हालाँकि, यह स्थापित करना आवश्यक है कि व्यक्ति तथ्यात्मक स्थिति से अवगत था।वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 3 ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि चयन समिति का गठन गोपनीय था।पैरा 8 में, उन्होंने कहा है कि "यह कुलपति थे जिन्होंने चयन समिति का गठन किया था और उत्तरदाता रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष के रूप में चयन समिति के सदस्य थे।विचाराधीन इन चयनों की तारीख से पहले किसी भी स्तर पर उत्तरदाता को सूचित नहीं किया गया था कि चयन समिति के अन्य सदस्य कौन थे।निश्चित रूप से, यदि विभाग के प्रमुख को चयन समिति के गठन के बारे में पता नहीं था, तो याचिकाकर्ता कैसे कर सकता था?इसके अलावा, यह दिखाना होगा कि याचिकाकर्ता चयन समिति के सदस्यों और चयनित उम्मीदवारों के बीच अंतर-संबंध के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति से अवगत थे।अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर, हम एक दृढ़ निष्कर्ष दर्ज करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पहले भी संपर्कों के बारे में जानते थे।इस प्रकार, प्रतिवादीगण की ओर से उठाई जाने वाली आपत्ति को कायम नहीं रखा जा सकता है।तदनुसार, तीसरे प्रश्न का उत्तर प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिया जाता है।

(63) यह तर्क दिया गया कि चयन समिति के दो सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए चयन के लिए चुनौती बरकरार नहीं रखी जा सकती है।

(64) विवाद गलत है।याचिकाकर्ताओं ने उन व्यक्तियों को शामिल किया है जिनके खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाए गए थे।

(1)ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 397
(2)ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 425
(3)1976 (2) एसएलआर 509
(4)1979(1) एसएलआर 710

यह चयन समिति के सभी सदस्यों को शामिल करने का दायित्व उन पर नहीं था।

(65) वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने सिंडिकेट और सीनेट के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था।याचिकाकर्ताओं ने चयन और नियुक्ति को चुनौती दी है।इसमें अंतिम नियुक्ति की ओर ले जाने वाले सभी कार्यक्रम शामिल हैं।यह नहीं दिखाया गया है कि सिंडिकेट के निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवारों को प्रसारित किए जाते हैं।अतः इस आधार पर दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, चयन अपने आप में अवैध है, सिंडिकेट और सीनेट द्वारा इसका अनुसमर्थन बुनियादी अवैधता को ठीक नहीं करता है।

(66) अदालतें आम तौर पर शैक्षणिक झाड़ियों में प्रवेश करने के लिए अनिच्छुक होती हैं।जब विधिवत रूप से गठित चयन समितियों द्वारा चयन किया जाता है, तो अदालतें योग्यताओं के बीच वजन नहीं करती हैं या उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर राय नहीं देती हैं।हालाँकि, वर्तमान मामले में हम हस्तक्षेप करने के लिए विवश महसूस करते हैं क्योंकि हम संतुष्ट हैं कि हस्तक्षेप करने में विफलता न्याय की विफलता का कारण बनेगी।प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की उम्मीदवारी पर गलत तरीके से विचार किया गया था।उनका चयन कानूनी और निष्पक्ष नहीं था।

(67) यह भी उल्लेख करने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 5 स्वीकृत रूप से वर्ष 1988 में अमेरिका गया था।वे विश्वविद्यालय से पिछले लगभग 11 वर्षों से छुट्टी पर हैं।वे वर्ष 1988 से पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ा नहीं रहे हैं।फिर भी, उत्तरदाता नंबर 3 ने उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षक/आईजेसरच वर्कर के रूप में वर्णित करने में संकोच नहीं किया।विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का एक पद छात्रों के लाभ के लिए भरा जाता है।उत्तरदाता संख्या 5 ने पिछले 11 वर्षों से कोई व्याख्यान नहीं दिया है।उन्होंने केवल दो मौकों पर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 13 फरवरी, 1998 और 15 फरवरी, 1999।यह केवल कागज पर था।अन्यथा, वह लगातार छुट्टी पर रहा है।हमें आश्चर्य नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह आरोप लगाने के लिए मजबूर महसूस किया कि विश्वविद्यालय उनके प्रति बहुत दयालु था।समान रूप से, हम आश्चर्यचकित नहीं हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 श्री एम. एल. सरीन के वकील ने हमारे सामने प्रतिवादी से 16 दिसंबर, 1999 को एक फैक्स पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि "एस. आर. आई. इंटरनेशनल यू. एस. ए. में बहुत प्रतिष्ठित परियोजनाओं में उनकी वर्तमान भागीदारी" के कारण, वह "विश्वविद्यालय में शामिल नहीं हो पाएंगे।"इसलिए वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे।पत्र के अवलोकन पर, जिसे मार्क 'डी' के रूप में दर्ज किया गया है, हम संतुष्ट हैं कि यह केवल 'प्रोफेसर' के लेबल को बनाए रखने का प्रयास था।

(68) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं।प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 का चयन और नियुक्ति रद्द की जाती है।विश्वविद्यालय नियमानुसार नया चयन करेगा।आज से तीन महीने के भीतर

आवश्यक कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

आरएनआर

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा